विश्व मामलों की
भारतीय परिषद

बहुपक्षीयता सुधार को अग्रसर करना

दो निबंध

अशोक कुमार मुखर्जी

मंजीव सिंह पुरी

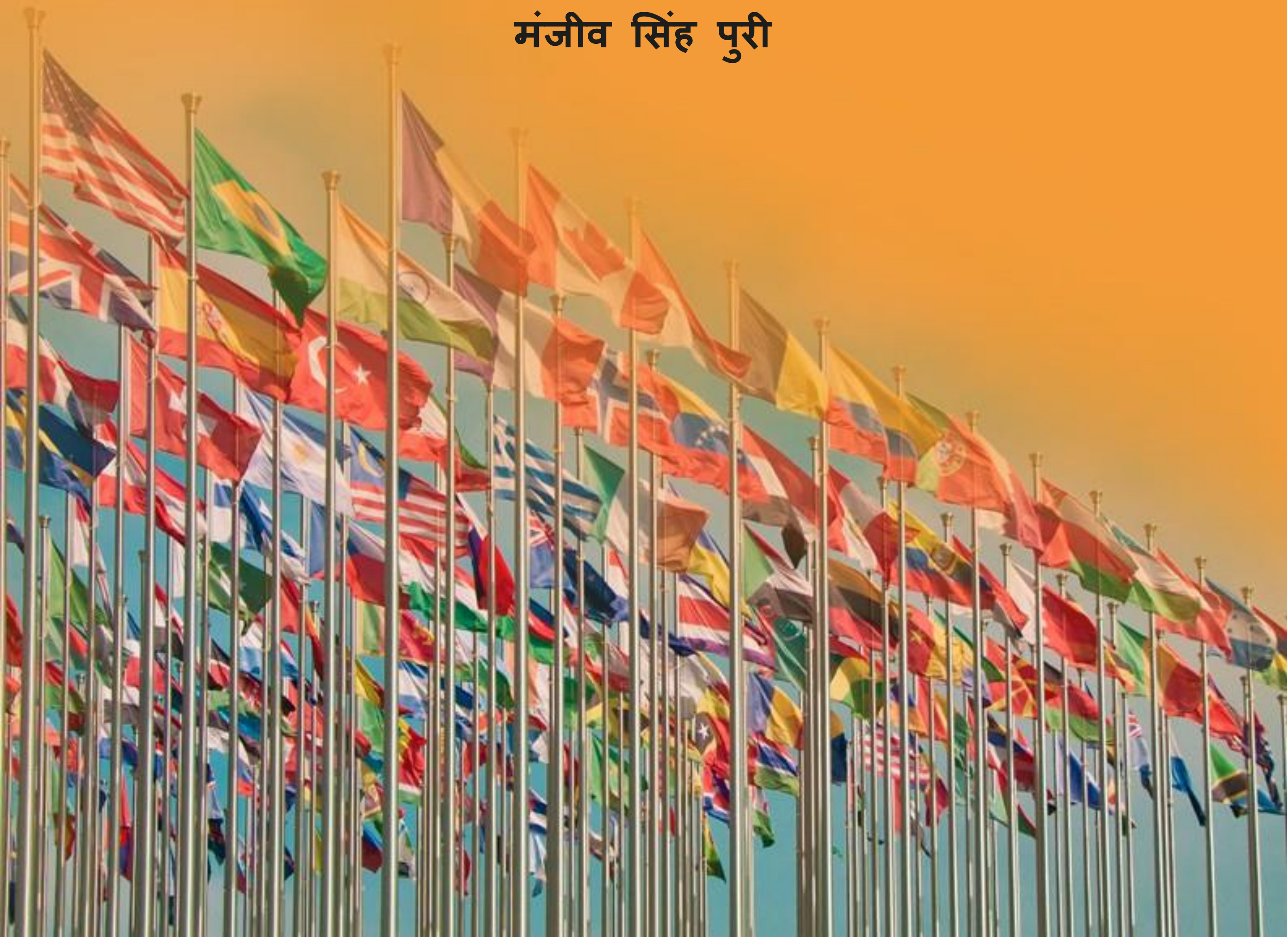

कॉपीराइट © 2021

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और मंतव्य के कोष के रूप में कार्य करना था। वर्ष 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाह्य विशेषज्ञों के माध्यम से नीतिगत शोध करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करता है और प्रकाशनों की एक श्रृंखला प्रकाशित करती है। इसमें सुसज्जित स्टॉक किया गया पुस्तकालय है, इसकी एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह 'इंडिया त्रैमासिक' जर्नल प्रकाशित करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर अभिज्ञान को बढ़ावा देने और परस्पर सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंतको और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, चिंतको और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

विषय-सामग्री

रूपांतरित विश्व में बहुपक्षीयता सुधार को अग्रसर करना
अशोक कुमार मुखर्जी

सुधारित बहुपक्षीयता को एक सुधारित सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है
मंजीव सिंह पुरी

योगदानकर्ताओं के बारे में 25

रूपांतरित विश्व में सुधारित बहुपक्षीयता को अग्रसर करना

अशोक कुमार मुखर्जी
संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि

सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर चर्चा और इसे अपनाए जाने पर भारत संयुक्त राष्ट्र का मूल सदस्य बन गया। वर्ष 1945 के बाद से, भारत ने वैश्विक दक्षिण के नजरिए से चार्टर के प्रावधानों को महत्व देने के लिए नवगठित संयुक्त राष्ट्र में आंदोलन का नेतृत्व किया है।

इस गतिविधि के दो प्रमुख परिणाम आज दिख रहे हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिसंबर 1960 में ऐतिहासिक विच्छेदन प्रस्ताव को अपनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण ने संयुक्त राष्ट्र की अधिकांश संरचनाओं में विकासशील देशों के सदस्य देशों को निर्णय लेने में समान भूमिका अदा की है। दूसरा, 1964 में 77 के समूह के समन्वय मंच के माध्यम से विकासशील देश की प्राथमिकताओं के समेकन को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची के केंद्र में विकास रखा गया है

शांति, सुरक्षा और विकास के बीच संयोजकता को सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र की कार्यसूची के वर्ष 2030 में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत को एक प्रमुख शक्ति में बदलने के लिए भारत के राष्ट्रीय विकास उद्देश्य कार्यसूची 2030 के साथ गठबंधन कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हालांकि शांति और सुरक्षा को बढ़ने से रोकने में असमर्थ रही है, और इस प्रकार कार्यसूची 2030 को ख़तरे में पड़ गई। यह संयुक्त राष्ट्र में "बहुपक्षीयता सुधार" के लिए भारत के आह्वान की पृष्ठभूमि है। परिषद की असमान निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्यापक रूप से शांति, सुरक्षा और विकास के लिए विद्यमान और उदीयमान चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने में असमर्थता का मुख्य कारण माना जाता है। इसलिए सुरक्षा परिषद में सुधार करना भारत की प्राथमिकता है। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की 75 वीं वर्षगांठ के दौरान "बहुपक्षीयता सुधार" के लिए भारत का आह्वान रूपांतरित विश्व में बहुपक्षीय संरचनाओं का उपयोग करने में उनके हितों को दर्शाता है ताकि मानवता के छठे हिस्से को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसके उद्भव का समर्थन किया जा सके। संक्षेप में, "बहुपक्षीयता सुधार" बहुपक्षीय निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों में समान आधार पर भारत की भागीदारी चाहता है, जिसमें से भारत एक सदस्य है।

संयुक्त राष्ट्र में, समान निर्णय लेने का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 18 में प्रतिष्ठापित है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लिए गए निर्णयों में प्रत्येक सदस्य-राज्य का एक वोट होता है। संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग जहां एक देश के एक वोट के आधार पर लोकतांत्रिक निर्णय लेने के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया जाता है, वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (संयुक्त राष्ट्र महासभा)। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चार प्रमुख सैन्य शक्तियों (चीन गणराज्य, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच गुप्त चर्चा के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तावों को वीटो करने के अधिकार के साथ प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए उनके पारस्परिक समझौते का परिणाम हुआ जिसे उनके व्यक्तिगत हितों के विरूद्ध माना जाता था। इस समझौते को इन चार शक्तियों द्वारा 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 45 अन्य प्रतिभागी देशों को दिए गए निमंत्रण में एक गैर-परक्राम्य पूर्व शर्त बनाई गई थी ताकि चर्चा की जा सके और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया जा सके।

2021 का विश्व 1945 से बिल्कुल अलग है। “बहुपक्षीयता सुधार” के आह्वान से संयुक्त राष्ट्र इस वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्णय लेने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों की समीक्षा करने के अलावा, “बहुपक्षीयता सुधार” के आह्वान से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके मानव जाति के सामने आने वाले नए मुद्दों और चुनौतियों और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में उनके एकीकरण का भी समाधान किया गया है।

यदि आधुनिक बहुपक्षीय संरचनाओं के निर्माण में सैन्य योगदान को इन निकायों में निर्णय लेने पर हावी होने के लिए स्वयं चयनित शक्तियों को महत्व देने के लिए निर्धारक कारक माना जाता है, तो भारत का मामला एक "विसंगति" है। इसका कारण यह है कि इन वैश्विक संघर्षों के विजयी परिणाम में उनके विशाल सैन्य योगदान के बावजूद भारत इन शक्तियों के साथ समान आधार पर भाग नहीं ले पाया है कि शांति और सुरक्षा के मामलों पर निर्णय कैसे लिए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के वार्ताकारी इतिहास में प्रमुख कथा द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं की जीत में भारत जैसे औपनिवेशिक देशों के योगदान पर महत्वपूर्ण बनी हुई है।

वास्तव में, भारत एक सदी पहले बहुपक्षीय संरचनाओं का हिस्सा बना था, जब उसने 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि ने लीग ऑफ नेशंस बनाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ टूट जाने से पहले 30 साल से भी कम समय तक चली। 1,400,0 से अधिक भारतीय सैनिकों ने मित्र देशों के सैनिकों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने की स्वेच्छा से यह सुनिश्चित किया कि भारत लीग ऑफ नेशंस का बराबर का सदस्य बन जाए।

2,500,0 से अधिक स्वयंसेवक भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी मित्र देशों की सेनाओं के साथ सेवा की, जो किसी भी देश द्वारा इस तरह का सबसे बड़ा योगदान है। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित शांति स्थापना पर पहले नेताओं के सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्मरण किया था। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र की नींव द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धक्षेत्र पर बहादुर सैनिकों ने रखी थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के निमंत्रण पर मित्र राष्ट्रों के जनवरी 1942 वाशिंगटन सम्मेलन में भाग लेने वाले 26 देशों में भारत शामिल था। सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक घोषणा जारी की, जिसने संयुक्त राष्ट्र को बनाने के उद्देश्य से अपने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र बनाने वाले देशों की मंशा दोनों "सुरक्षित"

और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उभरने वाली शांति को "बनाए रखने" के लिए थी। संयुक्त राष्ट्र को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शासन संरचना के रूप में संकल्पित किया गया था, जो तीन स्तंभों पर आधारित होगा: राजनीतिक, आर्थिक और मानवाधिकार।

2021 का विश्व 1945 से बिल्कुल अलग है। “बहुपक्षीयता सुधार” के आह्वान से संयुक्त राष्ट्र इस वास्तविकता को प्रतिबिंबित करना चाहता है।

भारत से तीन नेताओं महात्मा गांधी, अमेरिका से डॉ मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका से नेल्सन मंडेला की भूमिका विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय 6 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रतिबद्धता की मिसाल है।

शांति बनाए रखने के लिए पहली संरचनाएं जुलाई 1944 में बनाई गई थीं जब 1942 के वाशिंगटन सम्मेलन से मूल 26 सहित 44 देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वित्तीय और मौद्रिक सम्मेलन में भाग लिया था। मौद्रिक और विकास नीतियों के लिए सहायक भूमिका के समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (विश्व बैंक) की स्थापना की गई थी।

भारत ने ब्रेटन वुड्स में चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई थी । भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सर सी.डी. देशमुख और सर आर.के. शांडिल्य चेट्टी, जिनमें से दोनों स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री बने थे, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। उन्हें व्यापक रूप से "गरीबी और विकास" को विश्व बैंक के जनादेश में रखने का श्रेय दिया जाता है और उनके आर्थिक प्रोफाइल के कारण आईएमएफ और विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड की भारत की स्थायी सदस्यता प्राप्त की है।

अप्रैल से जून 1945 के बीच भारत सैन फ्रांसिस्को संधि के प्रावधानों पर चर्चा करने में 49 अन्य देशों में शामिल हो गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता सर ए रामास्वामी मुदलियार ने शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की अध्यक्षता करने में प्रमुख भूमिका निभाई। भारत को चार्टर के तीन प्रावधानों का श्रेय दिया जाता है, अर्थात् अनुच्छेद 1 में "मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने और सभी के लिए मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए" इसका संदर्भ; एक सदस्य-राज्य द्वारा मतदान के अधिकार की वापसी जो अनुच्छेद 19 में शेष है; और अनुच्छेद 23 के प्रथम अनुच्छेद में गैर-स्थायी निर्वाचित सदस्यों के लिए मानदंड।

इसके साथ ही भारत के अनेक जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की जा रही संधि में शामिल किए जाने वाले राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक विकास के मुद्दों से अवगत कराने के लिए सैन फ्रांसिस्को की यात्रा की। विजयलक्ष्मी पंडित, जो 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला बन जाएंगी, भारत के इस गैर-आधिकारिक प्रतिनिधित्व की सबसे मुखर सदस्य थीं।

सैन फ्रांसिस्को संधि (यूएन चार्टर) पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाला पहला सदस्य राष्ट्र बना। 1946-47 के बीच आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ सत्र के भारत के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में नवगठित संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनेक बड़ी पहलें की गई। उनमें से, तीन आज “बहुपक्षीयता सुधार” के मामले में मौलिक मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं को कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आह्वान को लागू करने के लिए हैं।

प्रथम भेदभाव रहित था। 1946 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के विरूद्ध रंग के आधार पर भेदभावपूर्ण नीतियों को समाप्त करने के आह्वान को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सफलतापूर्वक अंकित किया। इसका व्यापक रंगभेद विरोधी आंदोलन में कायापलट हुआ, जिसका समापन अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका में हुए सफल बहु-नस्लीय चुनावों के साथ हुआ। सितंबर 1994 में राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए बहु-नस्लीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र महासभा में किया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित गैर-भेदभाव के सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित के अलावा, नेल्सन मंडेला द्वारा प्रतीक रंगभेद विरोधी आंदोलन ने हमारे आसपास की विश्व में बदलाव लाने के लिए शांतिपूर्ण, पूर्व-प्रमुख रूप से अहिंसक राजनीतिक साधनों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। भारत से तीन नेताओं महात्मा गांधी, अमेरिका से डॉ मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका से नेल्सन मंडेला की भूमिका विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए अध्याय 6 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रतिबद्धता की मिसाल है।

द्वितीय सामूहिक अत्याचार अपराधों को गैरकानूनी घोषित था। तीन बड़े पैमाने पर अत्याचार अपराधों में, आज नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरूद्ध अपराधों के अलावा, नरसंहार प्रथम सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा का ध्यान आकर्षित किया गया था। रफ़ाएल लेम्किन, पोलिश वकील और कार्यकर्ता जिसने शब्द "नरसंहार" गढ़ा था ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू कानूनी सम्मेलन के माध्यम से नवगठित संयुक्त राष्ट्र में गैर कानूनी घोषित करने पर जोर दिया है। जब उन्हें सलाह दी गई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा को प्राधिकृत करने और इस प्रकार के अधिवेशन को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव अपनाना है, तो उन्होंने सदस्य देशों से बहुमत वोट सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के संकल्प को सह-प्रायोजक बनाने की मांग की। लेमकिन ने स्मरण किया है कि उन्होंने कैसे 51 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प के लिए अधिकतम समर्थन प्राप्त करने हेतु तीन सदस्य देशों से संपर्क करने का निर्णय लिया और 20 लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों (क्यूबा और पनामा) और 9 एशियाई राज्यों (भारत) में से एक का समर्थन प्राप्त किया।

आम सभा के प्रथम सत्र में, देर से 1946 में, क्यूबा, पनामा और भारत ने एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसके दो उद्देश्य थे: पहला यह घोषणा कि नरसंहार एक अपराध था जो शांतिकाल के साथ-साथ युद्ध के समय में किया जा सकता था, और मान्यता है कि नरसंहार सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के अधीन था (अर्थात, इस पर किसी भी राष्ट्र द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है, यहां तक कि एक प्रादेशिक या व्यक्तिगत लिंक के अभाव में)। महासभा के प्रस्ताव 96 (I), 11 दिसंबर 1946 को अपनाया, पुष्टि की "कि नरसंहार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक अपराध है जो सभ्य विश्व की निंदा करता है" और नरसंहार के अपराध पर एक मसौदा सम्मेलन की तैयारी अनिवार्य है। नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा के लिए सम्मेलन का पाठ संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर 1948 को अपनाया था। अनुच्छेद XIII के लिए अपेक्षित बीस अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद, 12 जनवरी 1951 को यह अधिवेशन लागू हुआ।

तृतीय लैंगिक समानता का था। सभी मानव जाति के लिए अधिकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करने के लिए इतिहास में पहला दस्तावेज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक द्वारा 9 दिसंबर 1948 को मंजूरी दी गई थी। हंसा मेहता सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा के अनुच्छेद 1 की भाषा को बदलने के लिए उत्तरदायी थे "सभी पुरुष" लैंगिक समानता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए "सभी मनुष्यों" के बराबर (मसौदाकारों का मूल प्रस्ताव) पैदा होते हैं। हंसा मेहता 1950 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष बनीं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की लोकतंत्र की उमंग

संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में, अगस्त 1947 में औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता के बाद एक

देश के एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर अधिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रमुख प्रोत्साहन पनपा। संयुक्त राष्ट्र के शुरुआती पंद्रह वर्षों के दौरान, अनेक नए स्वतंत्र देशों की संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यता के लिए आवेदन, जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो गए थे, को संयुक्त राष्ट्र महासभा में वीटो का उपयोग करते हुए पी5 द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत सदस्यता के लिए उनके आवेदन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बिना ये देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य नहीं बन सके। अन्य नए स्वतंत्र पूर्व औपनिवेशिक देशों के नेताओं के साथ-साथ भारत ने उन वार्ताओं का नेतृत्व किया जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक विच्छेदन के दिसंबर 1960 संकल्प को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

इस संकल्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यता को अवरुद्ध करने के लिए पी5 द्वारा वीटो के मनमाने प्रयोग को हटा दिया, नए स्वतंत्र देशों के स्कोर के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश बनने के लिए दरवाजे खोल दिए। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इस सुधार के बावजूद, चीन जनप्रभव, जिसने अक्तूबर 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र महासभा दोनों सीटों से संयुक्त राष्ट्र के मूल संस्थापक-सदस्य, चीन गणराज्य को बैठाया था, ने संयुक्त राष्ट्र में नए स्वतंत्र बांग्लादेश की सदस्यता की सिफारिश करने के निर्णय का विरोध करने के लिए अगस्त 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले वीटो का प्रयोग किया था।

यूएनजीए में लोकतंत्र में वृद्धि का संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सुधार के प्रयासों पर तत्काल प्रभाव पड़ा। विच्छेदन संकल्प के बाद, यूएनजीए में संख्यात्मक संतुलन नए स्वतंत्र विकासशील देशों के पक्ष में झुका। यह संख्यात्मक बहुमत है जिसने पहले मील का पत्थर सुकर किया, और तारीख को ही, यूएनजीए में मतदान के 112 सदस्यों में से 97 के एक सकारात्मक वोट से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प ने विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अतिरिक्त चार गैर-स्थायी सीटें बनाईं। पी5 के चार (चीन गणराज्य अपवाद है, जो यूएनजीए के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता के लिए चीन गणराज्य द्वारा संयुक्त राष्ट्र में नहीं बैठा) 17 दिसंबर 1963 को यूएनजीए में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संशोधन का समर्थन नहीं किया। फिर भी, पी5 में से किसी ने भी परिवर्तन की गति और मांग को अवरुद्ध नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अतिरिक्त गैर-स्थायी सीटों के चुनाव 1965 में आयोजित किए गए। तब से, यूएनजीए की सदस्यता 193 तक हो गई, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा की संरचना 15 पर सीमित हुए हैं, जिसमें पी5 और 10 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं जिनका सेवा कार्यकाल दो वर्ष का हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की संरचना में सुधार के लिए वर्तमान मांग का आधार है।

संयुक्त राष्ट्र कार्यसूची में संपोषणीय विकास का समावेश करना

यूएनजीए की सदस्यता में सामुद्रिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों में सुधार भी हुआ। 1945 में 18 सदस्य देशों के स्तर से, यूएनजीए ने 1963 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पारित किए ताकि ईसीओएसओसी सदस्यता को 27 तक विस्तारित किया जा सके, और 1971 में एक अन्य संकल्प सदस्य-राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व को अपने वर्तमान 54 से विस्तारित करने के लिए। यूएनएससी के विपरीत, ईसीओएसओसी की पूरी सदस्यता लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से चुनी जाती है। ये चुनाव एक देश के एक वोट के आधार पर यूएनजीए में आयोजित किए जाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के पांच क्षेत्रों से अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की रिक्तियों को भरते हैं। ईसीओएसओसी की तरह इकोसओसी में निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं या यदि इसके 54 सदस्यों द्वारा बहुमत से कोई सर्वसम्मति नहीं होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पी5 देशों सहित किसी भी ईसीओएसओसी सदस्यों, जो निकाय के लिए चुने जा सकते हैं, इस निर्णय लेने की प्रणाली पर कोई वीटो नहीं है। ईसीओएसओसी के विस्तार का मामला दिखाता है

कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करके संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी ढंग से कैसे सुधारा जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में विकासशील देश के बहुमत के समेकन के कारण शांति, सुरक्षा और विकास के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करने वाले दो प्रमुख मंचों का उद्भव हुआ। पहला 24 सदस्य देशों का राजनीतिक समूह था जिसने सितंबर 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (गुटनिरपेक्ष आंदोलन) बनाया था। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन के ईसीओएसओसी में 122 सदस्य राष्ट्र हैं। दूसरा 1964 में 77 (जी-77) विकासशील देशों के समूह का निर्माण किया गया था, जिसने संयुक्त राष्ट्र और उसके ईसीओएसओसी के ध्यान के रूप में त्वरित विकास प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। जी-77 में आज 193 सदस्य राष्ट्रों में से 134 संयुक्त राष्ट्र महासभा में हैं।

ईसीओएसओसी ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) बनाकर त्वरित विकास के लिए अपने अधिकांश विकासशील देश के सदस्यों की आकांक्षाओं का प्रत्युत्तर दिया, जो आज संयुक्त राष्ट्र के 170 से अधिक सदस्य देशों में सक्रिय है।

पर्यावरण पर त्वरित विकास का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुछ विकसित देशों के भीतर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक भावना के विकास का आधार बन गया। इसके चलते संयुक्त राष्ट्र ने जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर अपना पहला सम्मेलन आयोजित किया। भारत की ओर से बोलते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विकास को बनाए रखने के लिए गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बीच की कड़ी बनाई, जब उन्होंने कहा, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषक है।

विकास के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवता की आकांक्षाओं के बीच कथित विरोधाभास संयुक्त राष्ट्र के ब्रंटलैंड आयोग द्वारा संबोधित किया गया था, जो 1987 में जारी अपनी रिपोर्ट में "सतत विकास" की अवधारणा के साथ आया था। इस रिपोर्ट ने 1992 रियो शिखर सम्मेलन के परिणाम में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसे लोकप्रिय रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जिसने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन को अपनाया। 2015 पेरिस समझौता जलवायु कार्रवाई के लिए इस प्रक्रिया का सबसे हालिया परिणाम है।

इसके समानांतर 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने सतत विकास की संरचना भी तैयार की गई। इन 20 वर्षों के प्रयास का समापन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर चर्चा करने के लिए 2012 रियो+20 शिखर सम्मेलन द्वारा ईसीओएसओसी को दिए गए जनादेश से हुआ। मार्च 2013 और सितंबर 2015 के बीच, ईसीओएसओसी ने 17 एसडीजी के लक्ष्यों को चिन्हित किया और चर्चा की जो सतत विकास के लिए महत्वाकांक्षी संयुक्त राष्ट्र कार्यसूची 2030 का मूल है। शांति, सुरक्षा और विकास के लिए एक साझा वैश्विक ढांचे की स्वीकृति इस तथ्य में स्पष्ट थी कि कार्यसूची 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी पी5 देशों सहित आम सहमति से अपनाया गया था।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में विकासशील देश के बहुमत के समेकन के कारण शांति, सुरक्षा और विकास के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग करने वाले दो प्रमुख मंचों का उद्भव हुआ।

विश्व की अग्रणी शक्तियों में से एक बनने के लिए अपनी आकांक्षाओं को हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध देश के रूप में, 2025 तक $5,0,000,000,0 अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षाएं एक सहायक बाहरी राजनीतिक और आर्थिक माहौल पर निर्भर करती हैं।

सितंबर 2015 में कार्यसूची 2030 को सर्वसम्मति से अपनाना 1960 में विच्छेदन प्रस्ताव को अपनाने के बाद से संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में गिना जाता है। 1972 में भारत द्वारा ली गई स्थिति की पुष्टि करते हुए कार्यसूची 2030 का पहला और व्यापक एसडीजी गरीबी उन्मूलन है। यह कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू वैश्विक ढांचा है, जिन्हें अपनी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को

ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने का संप्रभु अधिकार है।

हर वर्ष, के तत्वावधान में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच एसडीजी के कार्यान्वयन की राष्ट्रीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से स्वैच्छिक रिपोर्टों की समीक्षा करता है। कार्यसूची 2030 के लक्ष्यों पर सांख्यिकीय प्रगति की निगरानी करने में मदद करने के अलावा, प्रत्येक जुलाई में आयोजित इन वार्षिक बैठकों में उन क्षेत्रों को इंगित करने की सेवा की जाती है जहां सदस्य-राष्ट्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

विकास के लिए वित्तपोषण पर जुलाई 2015 अदीस अबाबा सम्मेलन में जी-77 देशों द्वारा एसडीजी के कार्यान्वयन के साधन के रूप में दो मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित संस्थानों से बहुपक्षीय वित्त के सहायक प्रवाह हैं, जो ब्रेटन वुड्स संस्थानों के साथ-साथ नए वित्तीय संरचनाओं की तरह शांति को "बनाए" रखते हैं; और "प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र" के माध्यम से एसडीजी को प्राप्त करने से संबंधित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण करते हैं। ये दोनों कार्यसूची 2030 का अभिन्न हिस्सा बने जब इसे सितंबर 2015 में अपनाया गया।

वर्तमान महामारी की शुरुआत से पहले कार्यसूची 2030 को लागू करने से एसडीजी के लिए वित्तीय प्रवाह या प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को सुगम बनाने में बहुपक्षीय संस्थानों की प्रभावहीनता दिखाई गई है, जिसका मुख्य कारण पिछले सात दशकों के दौरान खेती की गई बहुपक्षीय संस्थाओं में पुरानी अवधारणा को जारी रखना है। बहुपक्षीय संस्थानों से वादा किया गया, वित्तीय प्रवाह धीमी गति से किया गया है, भाग में निर्णय लेने के संरचनाओं में सहमत सुधारों के कार्यान्वयन की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पश्चिमी सदस्य राज्यों के कोटा होल्डिंग्स के साथ जुड़े। चल रही कोविद-19 महामारी से एसडीजी को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कम उपलब्धता बढ़ गई है, जिसमें सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के भीतर से ऐसे संसाधनों की संभावनाएं शामिल हैं।

महामारी ने विकास के लिए प्रौद्योगिकी के मुद्दे को भी बहुपक्षीय चर्चाओं में सबसे आगे धकेल दिया है। एसडीजी को लागू करने में लगे कई हितधारकों को जोड़ने के लिए डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ सरकारों को इस मानव निर्मित वैश्विक डोमेन में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता प्रदान करने के लिए साइबर स्पेस हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनी स्मारक 75वां वर्षगांठ सत्र आयोजित करने में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का सहारा यह प्रदर्शित करता है कि इस बहुपक्षीय संगठन के काम के लिए प्रौद्योगिकी कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। इसके साथ ही, विशेषकर डिजिटल डोमेन में तकनीक के प्रवाह का राजनीतिकरण एसडीजी को लागू करने के लिए तकनीक का प्रयोग करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

भारत ने अपनी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एसडीजी पर चर्चा की। यूएनडीपी अपनी राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं को लागू करने में भारत के नीति आयोग का प्रमुख साझेदार है जो कार्यसूची 2030 में एसजीडी के साथ गठबंधन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों के दौरान एसडीजी को लागू करने में उनके राष्ट्रीय अनुभव पर प्रकाश डाला।

इस सूची में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पर प्रगति एसडीजी के साथ-साथ 2018 में एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रांस के साथ भारत के एससीओ-प्रायोजन को शामिल किया गया था। कम असमानताओं पर लक्ष्य जनधन योजना योजना के माध्यम से लक्षित किया गया था।

विश्व के अनेक नेताओं ने 2020 के शरद ऋतु में संयुक्त राष्ट्र की 75

वीं वर्षगांठ पर अपनाई गई दूरदर्शी घोषणा को लागू करने में इस बड़ी बाधा को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान किया है।

आधार बायोमेट्रिक डेटाबेस, मोबाइल टेलीफोनी और व्यक्तिगत बैंक खाते पांच वर्षों के भीतर 400 मिलियन से अधिक लोगों को सशक्त बनाने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण शुरू किया गया। अच्छे स्वास्थ्य और हित के लक्ष्य को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से संबोधित किया गया, जिसके अंतर्गत आज 500,0,0 लोगों को भारत में नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल तक अभिगम्यता हुई है। संपोषणीय शहरों और समुदायों पर लक्ष्य भारत में 100 स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए भारत की स्मार्ट शहरों की योजना में परिलक्षित हुआ था। इन राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को लागू करने में भारत ने जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, वह डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सतत विकास, विशेष रूप से सशक्तिकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना था।

हालांकि, विश्व की अग्रणी शक्तियों में से एक बनने के लिए अपनी आकांक्षाओं को हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रतिबद्ध देश के रूप में, 2025 तक $5,0,0,0,0 अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षाएं एक सहायक बाहरी राजनीतिक और आर्थिक माहौल पर निर्भर करती हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 40% उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आता है, जो उसके मूल राष्ट्रीय हितों के लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को दर्शाता है।

शांति, सुरक्षा और विकास

संयुक्त राष्ट्र ने कार्यसूची 2030 की प्रस्तावना में, इस प्रस्ताव के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया था कि "शांति के बिना कोई सतत विकास नहीं हो सकता और सतत विकास के बिना शांति नहीं हो सकती"। आज मानव जाति के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्तंभ के राजनीतिक विभंजन पर भारी पड़ रही है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का "प्राथमिक उत्तरदायित्व" है। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को राजनीतिक आवेग देकर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में संयुक्त राष्ट्र महासभा की असमर्थता, जिसमें वैश्विक युद्धविराम के आह्वान को लागू करना शामिल है, ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज “बहुपक्षीयता सुधार” के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार मुख्य मुद्दा क्यों है। विश्व के कई नेताओं ने 2020 के शरद ऋतु में संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ पर अपनाई गई दूरदर्शी घोषणा को लागू करने में इस बड़ी बाधा को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में सुधारों का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं जयंती पर दिए अपने तीन प्रमुख संबोधनों में एसडीजी के कार्यान्वयन को 'बहुपक्षीयता सुधार' के आह्वान को केंद्र में रखा, जिसमें कहा गया कि "हम आज की चुनौतियों से बिना दिनांकित संरचनाओं के नहीं लड़ सकते। व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र के सामने विश्वास का संकट है। आज को परस्पर विश्व में, हमें एक सुधार बहुपक्षीयता की आवश्यकता है-जो आज की वास्तविकताओं को दर्शाता है, सभी हितधारकों का आह्वान करता है, समकालीन चुनौतियों का समाधान करता है और मानव कल्याण पर केंद्रित है"।

मानव जाति के सामने 21वीं सदी में आने वाली चुनौतियों के प्रति संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने के लिए “बहुपक्षीयता सुधार” को कैसे लागू किया जा सकता है? पहले कदम के रूप में, मौजूदा बहुपक्षीय निकायों में समान भागीदारी से निर्णय लेने के लोकतांत्रिक सिद्धांत को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र में इसका ध्यान संयुक्त राष्ट्र महासभा होना चाहिए, जहां हमने देखा है कि कैसे आम सहमति के आधार पर लोकतांत्रिक निर्णय लेने, या बहुमत वोट अगर कोई आम सहमति नहीं है, पी5 के वीटो विशेषाधिकार के कारण होने की अनुमति नहीं है।

यूएनएससी में सुधार

जबकि “बहुपक्षीयता सुधार” के लिए बड़े ढांचे के जानकार, सदस्य देशों को मौजूदा संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्य प्रक्रियाओं और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधानों का उपयोग करने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र महासभा को शांति, सुरक्षा और विकास के लिए जमीन पर बढ़ती चुनौतियों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जा सके। इसके लिए दो प्राथमिकता वाले क्षेत्र विशेष रूप से अफ्रीका और एशिया में पीकेओ के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा जनादेश निर्माण हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र के शांति बजट का अधिकांश हिस्सा खर्च किया जाता है; और आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा उपायों को लागू किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के पहले पीकेओ की उत्पत्ति अरब-इज़राइल युद्ध के दौरान 1948 में हुई थी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हिंसक संघर्षों के राजनीतिक समाधानों के लिए जगह बनाने के लिए एक तंत्र के रूप में निहत्थे संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों की तैनाती की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसडीजी के कार्यान्वयन का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है, लेकिन “बहुपक्षीयता सुधार” के आह्वान के केंद्र में यह कहते हुए कि "हम पुरानी संरचनाओं के साथ आज की चुनौतियों से नहीं लड़ सकते। व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र के सामने विश्वास का संकट है। आज की परस्पर विश्व में, हमें एक सुधार बहुपक्षीयता की आवश्यकता है-जो आज की वास्तविकताओं को दर्शाता है, सभी हितधारकों का आह्वान करता है, समकालीन चुनौतियों का समाधान करता है और मानव कल्याण पर केंद्रित है"।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पीकेओ, एक बार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा योगदान किए गए सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तैनात किया जाता है, फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के इन फैसलों में सेना के योगदान करने वाले देशों की समान भागीदारी के लिए चार्टर के अनुच्छेद 44 के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भारत पीकेओ के लिए सैनिकों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है जिसने 1948 के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तैनात 71 पीकेओ में से अब तक 50 पीकेओ में 253,0 से अधिक सैनिक भेजे हैं। 175 भारतीय शांतिरक्षकों ने संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य-राज्य द्वारा हताहतों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या है।

1956 के बाद से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सशस्त्र शांतिरक्षकों की तैनाती को अनिवार्य किया है, जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के तीन प्रमुख सिद्धांतों के ढांचे के भीतर काम करने की आशा कर रहे हैं। ये सिद्धांत दलों की सहमति से शांतिरक्षकों की तैनाती, अभियानों में निष्पक्षता और जनादेश की आत्मरक्षा और रक्षा को छोड़कर शांतिरक्षकों द्वारा बल प्रयोग न करना है।

शीत युद्ध के अंत में सदस्य देशों के बीच संघर्ष के बजाय अंतर-राज्य संघर्षों द्वारा चिह्नित संकटों की बेतहाशा वृद्धि हुई। उनके स्वभाव से, अंतर-राज्य विवादों को सफल निवारक कूटनीति के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ऐसे पीकेओ की सफलता के लिए तीन मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। पहला, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता संबंधित सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए अपनी कार्यसूची में विवाद के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा को जमीन से सीधे आदानों की उपलब्धता है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सभी वैध पक्षों को शामिल करते हुए "समावेशी" चर्चा के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाई जानी चाहिए। तीसरा, यदि संयुक्त राष्ट्र को अंतिम शांति समाधान को बनाए रखना है तो सही लोगों और संसाधनों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जमीन पर तैनात किया जाना चाहिए।

इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को दो "सुधारों" के लिए सहमत होने की आवश्यकता है। पहला, पी5 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 44 को पारदर्शी ढंग से लागू करना चाहिए, जिसमें सदस्य देशों को अपने सैनिकों की प्रभावी तैनाती के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णयों में विशिष्ट पीकेओ समान भागीदारी के लिए सैनिकों का योगदान

करने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा, पी5 को उन क्षेत्रों से निर्वाचित संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यों के विचारों को एकीकृत करना चाहिए जहां इन पीकेओ को वीटो का उपयोग किए बिना अपने निर्णयों में तैनात किया जाता है।

आतंकवाद का प्रतिकार

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर आतंकवाद का सीधा प्रभाव, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा को आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभानी थी। यूएनएससी ने 2020 तक आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए 50 से अधिक प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रभावहीनता, अपने गैर-लोकतांत्रिक ढांचे और निर्णय लेने के तरीके के कारण, इन संकल्पों के प्रभाव को जमीन पर कम कर दिया है, जिसमें देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसलों को दण्ड के साथ लागू करने के अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

भारत ने वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के साथ सहयोग बढ़ाने के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिकार करने के संबंध में अपने निर्णयों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रवर्तन को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव किया है, जिनकी "सिफारिशें" अल कायदा/तालिबान की गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 1267 जैसे मौजूदा संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्तावों में पहले ही एकीकृत की जा चुकी हैं। इस दृष्टिकोण को लागू करने में भारत की सफलता पी5 की स्थिति पर निर्भर करेगी, जिन्होंने अपने क्षेत्रीय और भू-राजनीतिक हितों के कारण वायु सेना-पाक क्षेत्र से उत्पन्न आतंकवाद पर अभियोग चलाने पर उभयवृत्तिता के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर आतंकवाद का सीधा प्रभाव, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा को आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए एक सक्रिय भूमिका अपनानी थी। यूएनएससी ने 2020 तक आतंकवाद का प्रतिकार करने के लिए 50 से अधिक प्रस्ताव पारित किए हैं। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रभावहीनता, अपने गैर-लोकतांत्रिक ढांचे और निर्णय लेने के तरीके के कारण, इन संकल्पों के प्रभाव को

जमीन पर कम कर दिया है, जिसमें देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णयों को दण्ड के साथ लागू करने के अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

संयुक्त राष्ट्र ने यूएनएससी सुधार पर अंतर-सरकारी वार्ताएं (आईजीएन) 2007 में सर्वसम्मति से शुरू की और यूएनएससी सुधार के लिए पांच विशिष्ट क्षेत्रों पर भी सर्वसम्मति से 2008 में सहमति व्यक्त की गई थी। ये पांच क्षेत्र सदस्यता की श्रेणियां हैं, वीटो, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, एक वृहत यूएनएससी का आकार और उसके काम करने के तरीके, और यूएनएससी और यूएनजीए के बीच संबंध यूएनजीए के अध्यक्ष ने सितंबर 2015 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को अपनाने के बावजूद यूएनजीए के 120 सदस्य राष्ट्रों द्वारा लिखित योगदान करने के लिए (फ्रांस और ब्रिटेन सहित) संयुक्त राष्ट्र पश्चिम दशक सुधार पर एक यूएनजीए प्रस्ताव के लिए पाठ आधारित वार्ता करने के लिए, चीन के नेतृत्व में पी5 से कठोर प्रतिरोध द्वारा किया गया है।

आज, यूएनजीए प्रस्ताव के मसौदे पर प्रगति के बजाय, आईजीएन में यूएनएससी सुधार पर "व्यापक राजनीतिक सर्वसम्मति" पर चीन के आग्रह का प्रभुत्व है, बावजूद इसके कि चीन 1998 में अपनाए गए आम सहमति यूएनजीए प्रस्ताव का पक्षकार है, जो यूएनएससी सुधार पर निर्णय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए स्पष्ट रूप से दो तिहाई बहुमत वोट निर्धारित करता है। इसलिए आईजीएन के माध्यम से सुधारों की मांग करने के लिए इस चुनौती से उबरने के लिए सुधार समर्थक सदस्य देशों के बीच नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

यूएनजीए के वर्तमान 75 वें वर्षगांठ सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया विषय "बहुपक्षीयता के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को पुष्ट" कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों के लिए कई चुनौतियों के अभिसरण के लिए सदस्य देशों द्वारा 21वीं सदी के लिए संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में “बहुपक्षीयता सुधार” के आह्वान को संबोधित करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है।

1945 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मसौदाकारों ने अनुच्छेद 109 में 1955 में वर्तमान चार्टर की समीक्षा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सामान्य सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। शीत युद्ध से जुड़े ऐतिहासिक कारणों से इस प्रकार का महासम्मेलन कभी आयोजित नहीं किया गया।

बहुपक्षीयता में सुधार और एक के बाद कोविद 19 विश्व का जवाब करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे यूएनजीए के एक साधारण बहुमत वोट के माध्यम से सहमत करने के लिए अब इस तरह के एक आम सम्मेलन आयोजित करें। इस प्रकार के महासम्मेलन की कार्यसूची में संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार पर आईजीएन के परिणाम के अलावा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दिनांकित प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव शामिल होंगे, जिसमें अनुच्छेद 53, 77 और 107 में "शत्रू राष्ट्र" के संदर्भों को हटाना और ट्रस्टीशिप काउंसिल में अध्याय XIII को हटाना शामिल है जिसने अपना काम पूरा कर लिया है। इस कार्यसूची में अन्य मुद्दों में आतंकवाद, महामारी, सतत विकास और 1945 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के दौरान विचार नहीं की गई नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग जैसी नई चुनौतियों के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को सक्षम और विनियमित करने के लिए चार्टर प्रावधानों को बढ़ाना या शुरू करना शामिल होगा।

1945 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाने वाली सरकारों ने सुना था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के वार्ताकारी हॉल के बाहर प्रतिनिधित्व करने वाले "हम लोगों" के विचारों और विचारों का जवाब देने के लिए बाध्य महसूस नहीं हुए। 21 वीं सदी के प्रारंभ के बाद से, सदस्य देशों ने अपने रुख में संशोधन किया है, और मानव अधिकारों, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और संपोषणीय विकास के लिए वैश्विक ढांचे को तैयार करने में कई हितधारकों की सक्रिय भागीदारी का समर्थन किया है। इस प्रवृति को ध्यान में रखते हुए, बहुपक्षीयता में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की समीक्षा करने के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र के किसी भी महासम्मेलन में एक बहु हितधारक प्रक्रिया होनी चाहिए, जो सदस्य देशों की सरकारों को “बहुपक्षीयता सुधार” की अवधारणा और

कार्यान्वयन दोनों के लिए संसाधन देगा।

सुधारित बहुपक्षीयता को सुधारित सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है

मंजीव सिंह पुरी

संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि

आज की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है जिससे वैश्विक शासन के लिए विश्व निकायों का होना अनिवार्य हो । इस प्रकार एक सक्रिय और संपन्न संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने समकालीन वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए संगठन में सुधार की आवश्यकता को दृढ़ता से रेखांकित किया।

संयुक्त राष्ट्र में निर्णय लेने के प्रभावी अधिकार पांच देशों (पी-5) में केंद्रित हैं, जो वीटो के साथ अपनी सुरक्षा परिषद (संयुक्त राष्ट्र महासभा) के स्थायी सदस्य हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, नई और सक्षम शक्तियों के उद्भव और वैश्विक प्रभाव को यूरोप से दूर हिंद-प्रशांत में स्थानांतरित करने की तुलना में आज 193सदस्यों के साथ एक बेहद विस्तारित संयुक्त राष्ट्र को देखते हुए इसे बदलने की आवश्यकता है।

भारत संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहित संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाइयों में इसका मौलिक योगदान रहा है। आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र और पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में वह वैश्विक उच्च स्तर पर अपनी सही जगह की मांग कर रहा है।

जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ-साथ भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी सदस्यता में विस्तार पर जोर दे रहा है। लेकिन यथास्थिति को पी-5 की अनिच्छा के कारण वैश्विक शासन की उच्च संस्था में मंच साझा स्वीकार्य नहीं है। इन मुद्दों को दृढ़ संकल्प की आवश्यकता के रूप में अपने संकल्प संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और, वास्तव में, मानव जाति के हित में हैं।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने इस वर्ष 75 वर्ष पूरे कर लिए है, लेकिन भव्य समारोह के बजाय, संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) अपने पूर्व दर्ज बयानों की एक वीडियो स्क्रीनिंग के माध्यम से इसे विश्व के नेताओं के साथ एक खाली हॉल में आयोजन किया गया।

कोविद-19 द्वारा मजबूर सोशल डिस्टेंसिंग और यात्रा प्रतिबंध, समीपस्थ कारण था। लेकिन, कई खालीपन के लिए विश्व संगठन की घोर विफलता का प्रतीक कोविद महामारी अपने इतिहास में सबसे बड़ी चुनौती था। यह विश्व के सभी भागों में पहुंच गया था, इसने एक लाख से अधिक जीवन लील लिए, महीनों तक उग्र होने के बाद भी इसका अंत नहीं देख रहा था और एक वैश्विक आर्थिक मंदी का कारण बना था जो पहले कभी नहीं देखा गया।

वैश्विक कार्रवाई समय की मांग थी, फिर भी संयुक्त राष्ट्र लगभग चुप था और, वास्तव में, वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी विशेष एजेंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) योजना के बिना अभिनय करती दिखाई दी। डब्ल्यूएचओ पर भी अपने प्रारंभिक दौर में महामारी के बारे में चुप रहने और चीन के साथ सांठगांठ करने के लिए अमेरिका द्वारा आरोप लगाया गया था।

इस शोध में, लेखक बुनियादी शासन घाटे की पृष्ठभूमि को संक्षेप में निर्धारित करना चाहता है जो आज संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रमुख सुधार के माध्यम से आगे की राह है।

वैश्विक शासन और संयुक्त राष्ट्र क्यों

कोविद ने विरोधी वैश्ववादियों और बहुपक्षीयता की निंदा करने वालों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। लेकिन, एक वैश्विक संगठन की आवश्यकता आज और अधिक आवश्यक है वैश्वीकरण को, जिन्न की तरह, वापस बोतल में नहीं रखा जा सकता है, भले ही वहां कुछ दशकों के इसके तीव्र विकास को सीमाबद्ध किया गया हो। वास्तव में, भविष्य में और अधिक मुद्दें, न केवल महामारी और जलवायु परिवर्तन है बल्कि प्रताड़ना हैं, वैश्विक संगठनात्मक प्रणाली के लिए समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई सामंजस्य करने के लिए वैश्विक कार्रवाई और भागीदारी की आवश्यकता होगी।

अनेक बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या क्षेत्रीय संगठन या इच्छुक गठबंधन काम कर सकते हैं और ऐसा अधिक प्रभावी ढंग से करते हैं।

जहां तक क्षेत्रीय संगठनों का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब उनकी कुछ प्रासंगिकता हो सकती है, विशेष रूप से शांति और सुरक्षा सहित सीमित भौगोलिक प्रसार के मामलों में, महामारी और जलवायु परिवर्तन सहित बड़े और वैश्विक मुद्दों पर सभी की भागीदारी के साथ वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसके लिए सार्वभौमिक भागीदारी वाले वैश्विक संगठन की आवश्यकता है।

जहां तक इच्छुक गठबंधनों का संबंध है, वे हर किसी को सशक्त नहीं बनाते और इसलिए वैश्विक कानूनी स्वीकृति की कमी है। वे एकजुट कार्रवाई के बजाय प्रतिस्पर्धी गठबंधनों की स्थापना की क्षमता को भी जन्म देते हैं। यह ऐसा है कि सार्वभौमिकता का कुछ हद वैश्विक वार्ता द्वारा समझौता किया गया है।

सार्वभौमिक सदस्यता की कमी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक अच्छा मामला 2008 की वैश्विक मंदी थी जिसके कारण जी-20 की स्थापना हुई, जिसकी ठोस कार्रवाई से काफी मदद मिली। लेकिन विकसित और विकासशील दोनों देशों की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने स्पष्ट किया कि वैश्विक कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की क्षमताओं और कानूनन स्थिति का लाभ उठाना और उपयोगी और महत्वपूर्ण था और उन्होंने ऐसा किया। जी-20 उदाहरण भी एक और बात को रेखांकित करता है कि सार्वभौमिक होने के अलावा, वैश्विक प्रणाली को अपने सबसे बड़े घटकों का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए।

इसलिए संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य है लेकिन उसे समकालीन वास्तविकता का लाभ उठाने के लिए सुधार करना चाहिए और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में नहीं फंसना चाहिए।

हालांकि, जनादेश के बेहतर प्रशासन और युक्तिकरण की निश्चित रूप से आवश्यकता है और इतिहास में इस बिंदु पर, ७५ वर्षों के बाद, सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख शासी ढांचे के लिए आज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने और इस तरह संयुक्त राष्ट्र को मानव जाति के लिए प्रासंगिक और उपयोगी रखने के लिए सुधार की आवश्यकता है।

इतिहास के पन्नो से

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर 1945 में हुई और इसमें अत्यंत आवश्यक माना गया था। वैश्विक शासन के लिए एक संरचना का मान्यता देना।

> संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य है, लेकिन समकालीन वास्तविकता का लाभ उठाने के लिए इसमें सुधार करना चाहिए और बीते द्वितीय विश्व युद्ध के युग में अटकना नहीं चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र के तीन सम्मेलन आयोजित किए गए। वाशिंगटन डीसी के पास ब्रेटन-वुड्स में एक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के परिणामस्वरूप और जिसे आज विश्व बैंक कहा जाता है। इन संगठनों के परिचालन नियम मूल रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से पर आधारित थे और ऐसे हैं कि आज भी अमेरिका के आगे बढ़ने के बिना कोई वास्तविक निर्णय संभव नहीं है।

दूसरा सम्मेलन हवाना में हुआ जिसमें विश्व व्यापार को शासित करने के लिए काल्पिनिक निकाय का प्रस्ताव किया गया लेकिन यह अमेरिकी सीनेट ने इसे पारित नहीं किया और इसका संशोधित संस्करण जिसे प्रशुलक और व्यापार पर सामान्य समझौतों के रूप में जाना जाता है, अस्तित्व में आया। बहुत बाद में, 1995 में शीत युद्ध और उसकी स्पष्ट प्रधानता के बाद अमेरिका को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) स्थापित करना स्वीकार्य हो गया और वह भी अपने लिए वीटो के बिना।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। एक आम सभा के अलावा, जहां संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, संगठन को तीन छोटी परिषदों के साथ निहित किया गया था।

पहला सुरक्षा परिषद था जिसने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया था। दूसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद मानव भलाई के मामलों से निपटने के लिए था, जबकि एक तिहाई, ट्रस्टीशिप काउंसिल ने ट्रस्ट क्षेत्रों के मुद्दों (अब प्रासंगिक नहीं) से निपटा। विश्व शांति की अनिवार्यता को देखते हुए, विशेष रूप से विश्व युद्ध II के बाद, सुरक्षा परिषद, प्रभाव में, संयुक्त राष्ट्र के पावरहाउस बन गया, जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के गारंटरों की भूमिका से परहेण करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस युद्ध के तीन मुख्य विजेल के रूप में, स्वयं को विश्व शांति के गारंटर की स्थिति में चुना है लेकिन गारंटर की संख्या अंत में पांच हो गई जिसमें चीन और फ्रांस शामिल हैं। यह कैसे हुआ? जवाब, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कई अन्य तत्वों के रूप में, प्रथम विश्व युद्ध में निहित है।

चीन ने विश्व युद्ध में एक अवसर देखा कि वह अपने कुछ क्षेत्र से जर्मन कब्जे से स्वयं को मुक्त करे और ब्रिटेन और फ्रांस के साथ संबद्ध हो। लेकिन वे जापानी, जो एक ही चीनी क्षेत्रों के लिए जर्मन के साथ प्रतिस्पर्धा में थे के

रूप में सैनिकों को नहीं भेज सकता है, भी जर्मन के विरूद्ध संबद्ध है और कार्रवाई में चीनी सैनिकों ने इंकार कर दिया। इसलिए, चीनी ने जर्मनी के विरूद्ध पश्चिमी युद्ध के प्रयासों का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक भेजे और वर्साय शांति सम्मेलन में निमंत्रण प्राप्त किया, जिसने विश्व युद्ध और जर्मनी की हार के बाद संयुक्त राष्ट्र, लीग ऑफ नेशंस के अग्रदूत की स्थापना की। हालांकि, हालात अच्छी तरह से नहीं सुधरे थे और पश्चिम ने जापानी के साथ पक्षीय और चीन ने वर्साय शांति संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

हालांकि, अमेरिका की चीनी के प्रति सहानुभूति थी और कुछ साल बाद चीन और जर्मनी के बीच शांति समझौते तक पहुंचने में मदद मिली। अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक बड़े चीनी समुदाय को देखते हुए चीन के साथ मजबूत ट्रांस पैसिफिक कनेक्शन और घरेलू प्रोत्साहन भी था। विश्व युद्ध में, इसके अलावा, जापान पर जीत का मजबूत अमेरिका-चीन सैन्य सहयोग देखा गया। यह सुनिश्चित किया है कि चीनी को विश्व युद्ध विनर के एक छोटे से क्लब में चुना गया है जिसे चार पुलिसकर्मियों के रूप में जाना गया और चीन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया।

अमेरिका को भी लगा कि चीन सोवियत संघ (सोवियत संघ) के विरूद्ध एक बांध की तरह काम करेगा। लेकिन वह कुओमिन टंग की अगुवाई में चीन गणराज्य को विश्व युद्ध के बाद कम्युनिस्टों द्वारा मुख्य भूमि फोरमोसा (अब ताइवान) के द्वीप पर ले जाया गया। यह चीन जनितता (पीआरसी) के रूप में महत्वपूर्ण है, हमें विश्वास है कि यह संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक था। आरओसी ने 1971 तक चीन की संयुक्त राष्ट्र की सीट को बरकरार रखा जब अमेरिका के साथ जाने के साथ ही इसे संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित कर दिया गया और पीआरसी ने इसे सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया और इसे पी5 का सदस्य बना दिया और इसे संयुक्त राष्ट्र में कानूनन पोल पोजिशन दे दी।

फ्रांस, जिसे विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा अपनी मुख्य भूमि में रनओवर किया गया था, तथापि, एक पुरानी और प्रमुख यूरोपीय शक्ति थी। ब्रिटेन के आग्रह पर इसे यूएन में बड़ी लीग में लाया गया। अमेरिका ने अपनी ओर से ब्राजील को भी समूह में रखने में दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन इसका यूएसएसआर और ब्रिटेन दोनों ने विरोध किया था।

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (पी5) के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के पांच गारंटर शामिल थे। चार्टर ने उन्हें सुरक्षा परिषद की कार्यवाही पर वीटो भी प्रदान किया। जाहिर है, यह उनके राष्ट्रीय हितों, विशेष रूप से सोवियत संघ से भी जुड़ा हुआ था, जो अन्यथा पश्चिमी सहयोगियों द्वारा सुरक्षा परिषद में बहिष्कार किया जाएगा। रूसी संघ ने 1991 में, संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ को सफल किया जिसमें किसी देश ने इस बदलाव पर आपत्ति या चुनौती नहीं दी।

आज पी5 भी परमाणु शक्ति से जुड़े हुए हैं लेकिन 1945 में ऐसा नहीं था जब परमाणु हथियार संभवतः केवल अमेरिका के पास थे। परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर 1965-1968 के बीच चर्चा हुई थी और यह 1970 में लागू हुई थी। एक मायने में, यह वैश्विक शासन के पिरामिड के शीर्ष पर पी5 की कानूनी स्थिति से जुड़ी।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र में भारत का संबंध है, यह स्वतंत्र नहीं होने के बावजूद लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक सदस्य होने में अनूठा है। इसी तरह भारत अपनी आजादी से दो वर्ष पूर्व 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सदस्य बना था। संयोग से पाकिस्तान, केवल संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन करने के बाद सितंबर १९४७ में शामिल हो गए!

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: संयुक्त राष्ट्र की कुंजी

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में 11 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (संयुक्त राष्ट्र महासभा) के साथ केवल 51 सदस्यों के साथ की गई थी, जिसमें 5 स्थायी सदस्य (पी-5) और 6 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के कार्यकाल के लिए

चुने गए थे। 6 गैर-स्थायी सदस्यों का क्षेत्रीय वितरण लैटिन अमेरिका के लिए 2 और पूर्वी यूरोप, पश्चिम यूरोप, मध्य-पूर्व और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के लिए 1 प्रत्येक था। वीटो पर काबू पाने के अलावा एक संकल्प को अपनाने के लिए 7 सकारात्मक वोटों की आवश्यकता थी।

1965 में, जब तक संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 117 तक पहुंच गई थी, तब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के आकार को 4 और गैर-स्थायी सदस्यों के अलावा 15 तक विस्तारित किया गया था। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5 गैर-स्थायी सीटों, लैटिन अमेरिका के लिए 2, पूर्वी यूरोप के लिए 1 और पश्चिम यूरोप और अन्य देशों के लिए 2 में भी बदल दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों को अपनाने के लिए 9 सकारात्मक मत निर्धारित किए गए थे।

1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विस्तार 1960 के विच्छेदन संकल्प और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिक नए स्वतंत्र विकासशील देशों के बाद के प्रवेश के साथ समापन विच्छेदन प्रक्रिया का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान है कि वर्तमान चार्टर में संशोधन संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लिए लागू होंगे जब उन्हें महासभा के दो तिहाई सदस्यों के एकमत द्वारा अपनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्यों द्वारा उनकी संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी पुष्टि की गई हो, जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य शामिल हैं। 1963 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए संकल्प (जो 1965 में लागू हुआ था) ने दो तिहाई बहुमत के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन के लिए एक संकल्प अपनाने के लिए एक देश एक वोट के सिद्धांत का उपयोग करते हुए यूएनजीए में लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह "संवैधानिक मिसाल" संयुक्त राष्ट्र चार्टर प्रक्रिया के भविष्य के संशोधन के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थिति आज भी यथावत है भले ही संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लगभग एशिया और अफ्रीका से नए सदस्यों को मिलाकर दोगुनी अर्थात 193 हो गई है। इसके अलावा, आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधि नहीं होने के अलावा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका दोनों में परिषद में स्थायी सीट की कमी है, जबकि यूरोप का प्रतिनिधित्व अधिक है, और एशिया का प्रतिनिधित्व कम है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तीन विशिष्ट लेख, 25, 27 और 97, यह सुनिश्चित करते हैं कि पी5 का न केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा और वैश्विक शासन के निर्णयों पर बल्कि संयुक्त राष्ट्र के संचालन में भी बड़ा बोलबाला है।

पहला अनुच्छेद 25 है जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं। यह प्रभावी रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णयों को अनिवार्य बनाता है और इसके संकल्प, अंतर्राष्ट्रीय कानून को। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए गैर-बाध्यकारी बने हुए हैं।

अगले अनुच्छेद 27 जिसके अंतर्गत ठोस "सुरक्षा परिषद के निर्णय है। स्थायी सदस्यों के सहमति मतों सहित नौ सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा की जाएगी, अर्थात पी 5 संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों पर वीटो रखेगा। निसंदेह यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में स्थायी सदस्यों के सहमति वाले मतों पर शब्दों की व्याख्या वीटो नहीं, न केवल बचना के रूप में की गई है।

जहां तक संयुक्त राष्ट्र का संबंध है, भारत स्वतंत्र नहीं होने के बावजूद लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक सदस्य होने में अनूठा है। इसी तरह भारत अपनी आजादी से दो वर्ष पहले 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सदस्य बना था। पाकिस्तान, संयोग से, केवल संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए आवेदन करने के बाद सितंबर 1947 में शामिल हो गए!

9 सकारात्मक मतों का मुद्दा भी है, एक बाधा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों के रास्ते में कभी नहीं टिकी है। हालांकि, मार्च 2011 में अपनाए गए लीबिया पर संकल्प 1973 में केवल 10 सकारात्मक मत डाले गए और शेष के साथ एक घनिष्ठ चुनौती देखी गई, जिसमें दो पी 5 भी शामिल हैं। यह देखते हुए कि गैर-स्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, अपने आप में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में काम करने के लिए बार को बढ़ाएगी, चाहे वीटो हो, क्योंकि संकल्प को अपनाने के लिए अपेक्षित बहुमत में सहवर्ती वृद्धि होगी।

वीटो चार पुलिसकर्मियों के बीच व्यापक चर्चा का परिणाम था और ऐसा लगता है कि सभी बोर्ड यूएनएससी निर्णयों पर उन्हें इष्ट न केवल पी5 के लिए इच्छा से बाहर के अनुरूप अभिनय के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह भी अपने संप्रभु अधिकारों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए। अंत में, सैन फ्रांसिस्को में, पी5 के लिए वीटो अपरक्राम्य था।

इस निर्माण के प्रभाव संयुक्त राष्ट्र के पहले कुछ दशकों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे जिसे यूएनएससी के साथ ज्यादातर शीत युद्ध की अमेरिका-सोवियत संघ प्रतिद्वंद्विता और यूरोप में शीत युद्ध संतुलन के परिणामस्वरूप एक क्षेत्रीय संगठन नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) द्वारा बनाए रखा गया था। हालांकि, यूएनएससी ने उन भौगोलिक क्षेत्रों में आगे की आवाजाही देखी जहां महाशक्तियों के बीच सीधा प्रतिकार साक्ष्यों में नहीं था। इसने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का 'आविष्कार' किया। दिलचस्प बात यह है कि इस समय के दौरान मानव कल्याण के कई क्षेत्रों में प्रगति देखी गई जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्रवाई की आवश्यकता नहीं थी लेकिन ईसीओएसओसी और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों ने नेतृत्व किया।

हालांकि, ये दो लेख वैश्विक शासन में यूएनएससी की असाधारण और शक्तिशाली भूमिका को क्रिस्टलाइज करते हैं, लेकिन अनुच्छेद 97 संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में ही अपने विशेष स्थान का प्रतीक है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, "सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किए जाएंगे"। व्यवहार में, यह यूएनजीए को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने पर केवल एक नाम अग्रेषित करने में परिवर्तित हुआ जिसका परिणाम मौखिक मतदान द्वारा समर्थन करना है। यूएनएससी में, सिफारिश निर्धारित करने के लिए स्ट्रॉ चुनावों का उपयोग किया जाता है। बहुमत के समर्थन के अलावा, अनुच्छेद 27 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन चुनावों में महत्वपूर्ण आवश्यकता पी5 से कोई कोई 'गुलाबी पर्ची आना नहींहै', कहने की आवश्यकता नहीं है, कि पी5 का संयुक्त राष्ट्र पर भारी प्रभाव है, अपनी प्रमुख नियुक्तियों सहित, एक महासचिव की संभावना कम होने के साथ उन्हें लेने में सक्षम किया जा रहा है।

यूएनएससी सुधार

आज का विश्व 1945 की विश्व से बेहद अलग है। जर्मनी और जापान, को 'दुश्मन' के रूप में विश्व युद्ध व्यवस्था के बाद में बाहर रखा गया था जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा योगदान हैं। भारत, फिर एक उपनिवेश, अब विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व का आधार अटलांटिक से हिंद-प्रशांत और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में परिवर्तित हो गया है।

अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का शीट एंकर रहा है, भले ही अपने पहले 50 वर्षों में सोवियत संघ के साथ कुछ शक्ति साझा करना एक स्वीकार्य आदर्श था। इसके अलावा, उन दशकों के दौरान थोड़ा संदेह था क्योंकि आर्थिक शक्ति अमेरिका के साथ थी। पीपीपी के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सहित चीन की असाधारण वृद्धि ने इस आधिपत्य को चुनौती दी है जैसा पहले कभी नहीं हुआ और कोविद-19 ने अमेरिका द्वारा उपेक्षा करने पर उसे प्राकृतिक आपदा दी। अमेरिका-चीन चुनाव ने संयुक्त राष्ट्र में ठहराव आ गया है; इसे दूर किया जाना चाहिए, और अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने और संस्थानों को प्रभावित करने, यूएनएससी के शीर्ष पर

ध्रुवीकरण को व्यापक बनाने में निहित है। भारत जैसे लंबी दौड़ वाले देश के लिए, समकालीन मुद्दों के राजनयिक गीत और नृत्य के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण है लेकिन शासी संरचनाओं में इसकी संस्थागत उपस्थिति महत्वपूर्ण है।

यूएनएससी सुधार का मंतव्य काफी समय से चर्चा में है। 1971 में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, भूटान, गुयाना, भारत, मालदीव, नेपाल, नाइजीरिया और श्रीलंका के इशारे पर सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर समान प्रतिनिधित्व और वृद्धि के प्रश्न को यूएनजीए की कार्यसूची में लाया गया था। आम तौर पर परिषद सुधार में नोट किए गए केंद्रीय मुद्दे सदस्यता, वीटो और काम करने के तरीके हैं।

महासभा ने 1993 में, सुरक्षा परिषद के सदस्यों में वृद्धि और सुरक्षा परिषद से संबंधित अन्य मामलों के प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए एक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप की स्थापना के लिए संकल्प 48/26 को अपनाया। यह एक ऐसा समय था जब शीत युद्ध समाप्त हो गया था, और जापान और जर्मनी संयुक्त राष्ट्र के बजट में क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े योगदानकर्ता बन गए थे। इस बात की आशंकाएं थीं कि इन दोनों को सिर्फ थोड़ा प्रतिरोध के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी सदस्यता में सह-चुना जा सकता है, विशेषकर उस समय का रूस बहुत कम हो गया था तो पुराने सोवियत संघ और चीन पश्चिम के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की राह पर थे। उनकी ओर से, जापानी और जर्मन भी एहसास हुआ कि वे अधिक से अधिक सिर्फ सबसे शक्तिशाली के समर्थन की आवश्यकता के लिए स्थाई सदस्यता के लिए अपनी बोली में सफल हो। 1998 में, यह पुष्टि की गई थी कि सुरक्षा परिषद सुधार पर यूएनएससी के किसी भी प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

संयुक्त राष्ट्र की 2005 में, 60 वीं वर्षगांठ के मद्देनजर, तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव, कोफ अन्नन ने एक मौलिक रिपोर्ट "इन बिग फ्रीडम" में दो मॉडलों का प्रस्ताव किया-दोनों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा का विस्तार 24 तक किया। एक प्रस्ताव 6 नए स्थायी सदस्यों और 3 नए गैर स्थायी सदस्यों के लिए था। दूसरे ने सदस्यों की एक नई श्रेणी में 8 सीटों के सृजन का प्रस्ताव किया, एक नवीकरणीय दीर्घकालिक सीट, और एक अतिरिक्त गैर-स्थायी सीट। किसी भी मामले में उन्होंने वीटो को वर्तमान पी 5 से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं किया।

इस लेखक की दृष्टि में श्री अन्नन के प्रस्तावों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने वीटो के अप्रिय मुद्दे को दरकिनार करते हुए कहा कि पी 5 में से कोई भी इस तरह के "सुधार" पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होगा जो अभ्यास को निरर्थक बना रहा है और सुधार की निष्फल संभावनाओं को प्रतिपादित कर रहा है जिसमें परिषद के कार्य और संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन के उसके नेतृत्व पर वास्तविक प्रभाव की क्षमता थी। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार में रुचि रखने वाले एक अन्य समूह, छोटे देशों के एक समूह का भी प्रत्युत्तर देता है, जिसके लिए परिषद के काम करने के तरीकों में पारदर्शिता और सुधार यह सब मायने रखता है।

इस संदर्भ में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि "सुधार" वह है जो कार्यसूची में है, संयुक्त राष्ट्र का पुनर्निर्माण नहीं! इसके अलावा, स्थाई सदस्यता के लिए अतिरिक्त, यहां तक कि नए चेहरे के लिए एक वीटो के बिना, परिषद में शक्ति का संतुलन पी5 द्वारा वीटो का अभ्यास असली विश्व में एक दोगुना चुनौतीपूर्ण काम में बदल जाएगा। नीति उपलब्ध हो सकती है, लेकिन इसका प्रयोग असली विश्व में हित के विरूद्ध हो जाता है, यहां तक कि शक्तिशाली देशों के लिए, न तो सुगम है और न ही लागत के बिना।

यूएनएससी सुधार के महत्व पर जोर देते हुए कोफी अन्नन ने लिखा "मेरे विचार से संयुक्त राष्ट्र का कोई सुधार सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना पूरा नहीं होगा। सुरक्षा परिषद को आज की विश्व में सत्ता की वास्तविकताओं का व्यापक रूप से प्रतिनिधि होना चाहिए। आसन्न ने कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए आगे लिखा,

"सदस्य देशों को सितंबर 2005 में शिखर सम्मेलन से पहले इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए सहमत होना चाहिए। सदस्य राष्ट्रों के लिए यह बहुत बेहतर होगा कि वे आम सहमति से यह महत्वपूर्ण निर्णय लें, लेकिन यदि वे सर्वसम्मति तक पहुंचने में असमर्थ हैं तो यह कार्रवाई स्थगित करने का बहाना नहीं बनना चाहिए। अतिरिक्त सदस्यता के लिए कोफी अन्नन के मापदंड थे:

- उन लोगों के निर्णय लेने में भागीदारी बढ़ाएं जो संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से सबसे अधिक योगदान देते हैं।
- निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यापक सदस्यता के अधिक प्रतिनिधि, विशेष रूप से विकासशील देशों को शामिल करो।
- सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता को हानि नहीं होनी चाहिए; और
- संस्था की लोकतांत्रिक और जवाबदेही प्रकृति को बढ़ाया जाए।

2005 विश्व शिखर सम्मेलन परिणामी दस्तावेज में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश "सुरक्षा परिषद के शीघ्र सुधार का और अधिक मोटे तौर पर प्रतिनिधि, कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए और इस प्रकार इसकी प्रभावशीलता और वैधता और उसके निर्णयों के कार्यान्वयन को और बढ़ाने का समर्थन करते हैं"।

महासभा ने 2008 में महासभा के अनौपचारिक पूर्ण में अंतर सरकारी वार्ताएं (आईजीएन) शुरू करने के लिए संकल्प 62/557 को अपनाया। चर्चा के लिए पांच प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई:

परिषद को सदस्यता की श्रेणियां (अर्थात स्थायी, गैर-स्थायी, या तीसरा विकल्प),

- वीटो का प्रश्न,
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व,
- विस्तारित परिषद और कार्य-विधियां, और
- परिषद और महासभा के बीच संबंध

आईजीएन वार्ताओं की अध्यक्षता अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि (पीआर) ने 2009 से 2014 के मध्य तक जमैका के स्थायी प्रतिनिधि ने 2015 में और लक्जमबर्ग के स्थायी प्रतिनिधि ने 2016 में अध्यक्षता की। वर्ष 2017 में इसकी व्यवस्था सह-अध्यक्षता की गई। हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात और पोलैंड ने सह अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

दिसंबर 2009 में, 129 सदस्य देशों ने आईजीएन अध्यक्ष से चर्चा के लिए एक आधार के रूप में सेवा करने के विकल्पों के साथ एक पाठ पेश करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए। 31 जुलाई 2015 को, के अध्यक्ष ने यूएनजीए के सभी सदस्य देशों को यूएनएससी सुधार पर चर्चा के लिए एक 'पाठ' परिचालित किया जिसे जमैका के जनसंपर्क द्वारा तैयार किया गया था और उसे भेजा गया था। 14 सितंबर 2015 को, 69 वें यूएनजीए सत्र समाप्त होने पर, इसने आईजीएन के जनादेश को बिना किसी वोट के बढ़ा दिया, अर्थात सर्वसम्मति से, अगले यूएनजीए सत्र में और निर्णय (69/560, मसौदा: A/69/L.92) में शामिल किया' पाठ, जहां तक सुधार की मांगकर्ताओं का संबंध है। वर्ष 2019 में एक संशोधित पत्र, अभिसरण और असहमति के क्षेत्रों को सूचीबद्ध करके परिचालित किया गया था, लेकिन इसमें 2015 दस्तावेज़ में थोड़ा ही जोड़ा गया हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से, 2015 पाठ को 'चर्चा के पाठ' में सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसके लिए विकल्प बनाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार के विभिन्न पहचाने गए पहलुओं में से प्रत्येक में विकल्प रखने की आवश्यकता होगी। यह खुशी की बात है कि सुधार की मांग करने वाले, विशेष रूप से जी-4, अब इस प्रक्रिया को

जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रमुख हितधारकों की स्थिति

सुरक्षा परिषद को इसकी स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यता दोनों में विस्तार की मांग चार देशों के एक समूह द्वारा वर्षों से की जाती रही है, जिसमें भारत के साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील है जिसे जी4 के नाम से जाना जाता है। अधिकांश पर्यवेक्षकों के लिए, ये चार देश स्वयं सभी अर्हताएं रखते हैं, जिनमें श्री अन्नन द्वारा निर्धारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य शामिल हैं। जापान और जर्मनी वर्षों से संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे अधिक योगदान देने वालों देशों में से हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है जबकि ब्राजील लैटिन अमेरिका का असाधारण देश है। वास्तव में, कई के लिए, अगर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आज की जानी थी, इन चारों को स्वचालित रूप से यूएनएससी की स्थाई सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त होगी और वर्तमान पी5 के दो, यूरोपीय पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों, फ्रांस और ब्रिटेन, नहीं होगीं। कुछ वर्ष पहले, चीजों को स्थानांतरित करने की दृष्टि से, जी-4 में नए स्थायी सदस्यों के लिए लगभग 15 वर्षों के लिए वीटो का उपयोग त्यागने के सुझाव दिए गए थे।

मोटे तौर पर, जी4 विचारों को सभी से कुछ 40 विकासशील देशों के एक समूह द्वारा समर्थन दिया जा रहा है

व्यावहारिक दृष्टि से, 2015 पाठ को ' चर्चा के पाठ ' में सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसके लिए विकल्प बनाने और संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार के विभिन्न चिन्हित पहलुओं में से प्रत्येक में विकल्प रखने की आवश्यकता होगी। यह खुशी की बात है कि सुधार की मांग करने वाले, विशेष रूप से जी-4, अब इस प्रक्रिया को जबरदस्ती आगे बढ़ा रहे हैं।

ऐसे संरचना के चार्टर संशोधन (एस) में अनुच्छेद 108 के प्रावधान होंगे। ये, भारी रूप से, आम सभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबंधित संकल्प को अपनाने और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की मांग करते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब सभी वर्तमान पी 5 बोर्ड में आते हैं।

ब्राजील और भारत सहित विश्व, एल-69 के रूप में जाना जाता है, जो छह नई स्थाई सीटें और छह नए गैर स्थाई संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रों में संतुलित सीटें चाहता है और छोटे द्वीप विकासशील राष्ट्रों के लिए एक सीट चाहता है। इस समूह का एक साथ आना [कुछ ऐसा जो भारत द्वारा बहुत प्रोत्साहित किया गया था और अब भारत का स्थायी मिशन अपने सचिवालय के रूप में सेवारत है] 2007 में संयुक्त राष्ट्र में कई के लिए आंख खोलने वाला था और संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यता की स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार के लिए एक व्यापक, पार क्षेत्रीय समर्थन परिलक्षित होता है। एसआईडीएस, अपने आप में, संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है और उनका समर्थन जी4 के लिए महत्वपूर्ण है।

स्थायी सीटों पर विस्तार के मुद्दे पर अफ्रीकी पहेली को कोई स्पष्ट दावेदार और कम से कम तीन-चार दावेदारों के साथ सुलझाना होगा। औपचारिक अफ्रीकी स्थिति 2005 से अफ्रीकी संघ के एक दस्तावेज में प्रतिपादित है जिसे इजूलवेनी आम सहमति के रूप में जाना जाता है। यह अफ्रीकियों के साथ महाद्वीप के लिए दो स्थाई सीटों की मांग करने के लिए स्वयं से तय है। 22 सदस्यीय अरब समूह भी अपने लिए एक स्थायी सीट की मांग करता है।

दूसरी ओर, वास्तव में ने-सेयर्स, पाकिस्तान, इटली, मेक्सिको, तुर्की, दक्षिण कोरिया आदि के नेतृत्व में बिचौलिया देशों के एक समूह है जिसे पूर्व में कॉफी क्लब के रूप में जाना जाता था, लेकिन "आम सहमति के लिए एकजुट" नहीं कहा जाता है, का गठन किया है। वे केवल गैर-स्थायी सदस्यता में 20 तक विस्तार का प्रस्ताव करते हैं। मुख्य, हालांकि अनकहा, इस समूह के अधिकांश सदस्यों के लिए जी4 के एक या किसी अन्य सदस्य के साथ क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता है, जैसे भारत के साथ पाकिस्तान, ब्राजील के साथ मेक्सिको, जर्मनी के साथ इटली, जापान के साथ दक्षिण कोरिया आदि।

स्थायी सदस्यता में विस्तार के लाभ और अपरिहार्यता सभी के लिए हैं, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जी-20 के उदाहरण के साथ। लेकिन यथास्थिति मिलाते हुए पी-5 अनिच्छुक के साथ आसान नहीं है कि वे वैश्विक शासन और अन्य लोगों की कानूनन उच्च तालिका को साझा करें, विशेष रूप से बिचौलिया देश, कुछ चुनिंदा 'स्नातक' से सावधान रहें।

पी5 के बीच, चीनी और रूसी स्थाई श्रेणी में विस्तार का समर्थन करने के लिए अपनी अनिच्छा के बारे में मुखर रहे हैं, जबकि ब्रिटिश और फ्रांसीसी सबसे सकारात्मक रहे हैं। यह, ज़ाहिर है, तथ्य यह है कि इन दो यूरोपीय देशों की शक्ति के बहुत से उनके पी5 में होने से उपजना है दर्शाता है। अमेरिका, जिसका विचार बिना संदेह के सबसे महत्वपूर्ण है, विस्तार के बुनियादी विचार और अतिरिक्त नए स्थायी सदस्यों दोनों पर उभयभावी किया गया है।

भावी राह

वर्तमान में यूएनएससी सुधार के लिए जो मार्ग अनुसरण किया जा रहा है, वह ऊर्ध्वगामी है। आशा है कि आईजीएन चर्चा का पाठ लेकर आए ताकि निष्कर्षों को अंकित किया जा सके और फिर औपचारिक रूप से अंगीकार करने के लिए महासभा में रखा जा सके। यह विचार एक संरचना संकल्प के लिए है जो यूएनएससी सुधार पर कार्रवाई के लिए अन्य बिंदुओं के साथ-साथ उनके क्षेत्रीय के साथ-साथ अतिरिक्त सीटों की संख्या को सूचीबद्ध करेगा। नि:संदेह, इस ढांचे में दीर्घकालिक नवीकरणीय सीटें और अन्य पहलुओं जैसी नई श्रेणियां भी शामिल हो सकती हैं, जिनकी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की सामान्य सहमति है। जबकि इस तरह की प्रक्रियाओं

का सामान्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार के मामले में आम सहमति बनाना है, विशेष रूप से यह है कि एक चार्टर संशोधन की आवश्यकता है।

ऐसी संरचना के चार्टर संशोधन (एस) में अनुच्छेद 108 के प्रावधान होंगे। ये आम सभा के दो तिहाई सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबंधित संकल्प को अपनाने और सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों सहित संयुक्त राष्ट्र के दो तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन की मांग करते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया तभी पूरी होगी जब सभी वर्तमान पी 5 बोर्ड में आते हैं।

जहां तक गैर-स्थायी सदस्यों में वृद्धि की बात है, जिसमें यदि कोई हो, दीर्घकालिक/नवीकरणीय सीटें, तो आगे का रास्ता 1963 टेम्पलेट, अनुसमर्थन के बाद का अनुसरण करेगा, और अतिरिक्त रिक्तियों को ठीक वैसे ही भरा जाएगा जैसा कि वर्तमान में गैर-स्थायी सदस्यों के लिए किया जाता है।

जहां तक अतिरिक्त स्थायी सदस्यों का संबंध है, यदि सहमति हो जाती है, तो इस सुधार के समर्थकों के बीच सामान्य सोच संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए सदस्यों का चुनाव है। यह उनकी स्थिति को वैध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और 1945 की पुनरावृत्ति नहीं है, जब संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सदस्यता पर स्थायी सदस्यता पर जोर दिया गया था। यह चुनाव यूएनजीए में संरचना संकल्प को अपनाने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए ताकि देश अनुसमर्थन प्रक्रिया में अतिरिक्त संख्या और देश के नाम दोनों शामिल हों। जबकि विश्वास है कि प्रक्रिया के चरण 1, अर्थात रूपरेखा संकल्प, बड़ा राजनयिक परीक्षण है, वास्तव में चरण 2 बहुत अधिक जटिल हो सकता है और दावेदारों के लिए कठोर हो सकता है चाहे उन्होंने स्वाभाविक रूप से अर्हता प्राप्त हो है।

संयुक्त राष्ट्र एक राजनीतिक रचना है जो विश्व के देशों की राजनीतिक और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होने को दर्शाती है। इसलिए, यहां तक कि आईजीएन के रूप में एक प्रक्रिया में, पी 5 और क्षेत्रीय समूहों की ऑफ लाइन वार्ताओं और समझौते को शामिल किया जाएगा ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान हो सके।

यह स्वभाविक है कि इस तरह की ऑफ लाइन वार्ताओं के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम सामने आ सकते हैं जो शुरुआती दस्तावेज का हिस्सा भी नहीं हैं और इसके लिए किसी को तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही यह याद रखना भी आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार चर्चा की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा रहा है। यह दुर्लभ है कि ऐसी वार्ताओं में सभी मांगों को मान लिया जाए। हमेशा की तरह, आगे समझौता है और किसी को केवल उस के लिए तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर आगे आंदोलन के समग्र हित में कुछ मध्यम रास्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, स्वयं को, और अपने देश को। ऐसा नहीं करने का मतलब केवल यह हो सकता है, कोई आगे की गति नहीं है और यह शायद ही देश-उद्देश्य की सेवा हो सकती है।

दूसरी ओर, जहां तक संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियाओं का संबंध है, सुधार के प्रमुख मांगकर्ता स्वयं द्वारा तैयार किए गए एक संरचना संकल्प को सारणीबद्ध करने और यूएनजीए में मतदान के लिए मजबूर करने पर विचार कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से जोखिम भरा है, लेकिन यदि सफल नहीं होता है, तो यह विभिन्न देशों की स्थिति स्पष्ट कर देगा क्योंकि यूएनजीए संकल्पों के लिए वोट खुले हैं न कि गुप्त मतपत्रों में हैं जैसा कि चुनाव में होता है। इस तरह के प्रयास 2005 में जी4 में कुछ द्वारा समर्थन दिया जा रहा था लेकिन कई अन्य लोगों ने यह नहीं सोचा था कि समय उपयुक्त था।

बेशक, शुद्ध ऊपर-नीचे की कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक हितधारकों के साथ संरचना संकल्प की शर्तों पर सहमत होने और फिर इसे विधिवत प्रचार के बाद सामान्य सदस्यता के समक्ष पेश करने के साथ ही संभव है,

लेकिन वास्तव में किसी विकल्प स्थिति के रूप में। इस तरह के एक दृष्टिकोण भी एक कदम आगे जा सकते है और नए स्थाई सदस्यों का नाम लिया जा सकता है, अगर वह वैश्विक समझौता है।

पी5 1945 ने एक निश्चित पाठ्यक्रम चलाने में मदद की और एहसास होना चाहिए कि शीर्ष पर उनकी अपनी स्थिति जोखिम भरी है यदि उनके द्वारा गठित संगठन है विश्व के लिए महत्वकारी बन जाता है। इसलिए, परिवर्तन उनके हित में है; अपनी कर्णधारता को बनाए रखते हुए, उन्हें आज सबसे अधिक क्षमताओं वाले अतिरिक्त देशों की उपस्थिति से अपने बोझ के बंटवारे में लाभ होगा। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण बहुध्रुवीयता की व्यावहारिकता के साथ एक देश के शुद्ध बहुपक्षीयता के संयोजन से किया गया था। इसे समकालीन वास्तविकता को दर्शाकर मजबूत किया जाना चाहिए।

जी-4 परिवर्तन के लिए प्रमुख मांगकर्ता है और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा सुधार पर श्री अन्नन की अभिव्यक्ति जी4 का प्रस्ताव करने वाली आंतरिक योग्यता को पहचानने का परिणाम थी। इसके अलावा, यूएनएससी सुधार पर जी4 का समर्थन अफ्रीकी संघ को एक औपचारिक स्थिति का समर्थन देने के लिए आया।

संयुक्त राष्ट्र एक राजनीतिक रचना है जो विश्व के देशों की राजनीतिक और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली को दर्शाती है। इसलिए, यहां तक कि आईजीएन के रूप में एक बॉटम-अप प्रक्रिया भी अंत में, पी 5 और क्षेत्रीय समूहों की ऑफ लाइन वार्ताओं और समझौते को शामिल करेगी ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान हो सके।

अफ्रीका के लिए दो स्थायी सीटों की मांग करते हुए स्थायी सदस्यता में विस्तार।

यूएनएससी में सार्थक सुधार की आवश्यकता के जी-4 के मजबूत दावे ने यह सुनिश्चित किया कि विश्व शिखर सम्मेलन परिणामी दस्तावेज (2005) में यूएनएससी सुधार पर सकारात्मक भाषा थी, जिसमें इसे प्रतिनिधि बनाना शामिल है। इसके बाद, पहले कई वर्षों में जी 4 को सक्रिय रूप से बढ़ाया गया और कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में एक सीट पीछे चली गई है और संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ स्मारक परिणामी घोषणा केवल 'प्रतिबद्ध (ओं) सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चा में नया जीवन स्थापित करने के लिए' है।

जी-4 ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर चर्चा का आह्वान किया है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शीघ्र सुधार लाने के लिए सार्थक चर्चा के लिए पुरजोर जोर देना शुरू कर दिया है। अंतत, जी-4 का नेतृत्व और समर्थक सक्रियता सार्थक यूएनएससी सुधार के लिए आवश्यक है और इसमें भारत की विशेष भूमिका है।

पिछले महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन में दो बार बात की। एक इसकी स्थापना की 75 वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक बैठक में की। दूसरी संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक संबोधन में की। दोनों अवसरों पर, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सुधार करने की आवश्यकता को दृढ़ता से रेखांकित किया अथवा चीजें सिर्फ यह स्पष्ट कर देगी कि "व्यापक सुधारों के बिना, संयुक्त राष्ट्र को विश्वास के संकट का सामना करना पड़ता है। आज की अंतर-संबद्ध विश्व के लिए, हमें एक सुधार बहुपक्षीयता की आवश्यकता है जो आज की वास्तविकताओं को दर्शाता है"।

बाद में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, आज बहुपक्षीय प्रणाली संकट का सामना कर रही है । वैश्विक शासन संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता दोनों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये समय के साथ नहीं बदले। ये आज भी एक ऐसी विश्व की सोच और हकीकत में निहित हैं, जो 75 साल पहले देखी गई थी। भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

भारत जनवरी 2021 से शुरू होने वाले दो वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल है और 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सभी तरीके से सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ियों के साथ होने का यह नक्षत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधारों और स्थायी सदस्यता के लिए अपने स्वयं के मामले को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनयिक भारी उठाने के लिए भारत की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। इसमें दृढ़ संकल्प और अनुसरण की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि घोड़े की नाल की मेज है जो संयुक्त राष्ट्र में है तभी खुलेगी यदि विश्व में प्रलय घटना हो। आशा है, कोविद-19 यही है।

अशोक कुमार मुखर्जी

संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली

राजदूत अशोक मुखर्जी ने दिसंबर 2015 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में सेवानिवृत्त होकर भारतीय विदेश सेवा में 37 वर्षों तक कार्य किया। उनके पहले के राजनयिक कार्यों में वाशिंगटन डीसी, लंदन, मास्को, जिनेवा, दुबई, अल्माटी, ताशकंद और बेलग्रेड शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपने कार्यभार के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विशेष शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं द्वारा सितंबर 2015 में अपनाए गए सतत विकास पर कार्यसूची 2030 की भारत की चर्चा का नेतृत्व किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के सफल कार्यान्वयन का नेतृत्व किया, जिसमें 177 सह-प्रायोजित देश थे और यह 75 दिनों के रिकॉर्ड समय में हुआ। राजदूत ने 2017-18 में भारत के लिए साइबर मानदंडों की सिफारिश करने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में एक बहु-हितधारक अध्ययन समूह की अध्यक्षता की।

वर्तमान में, राजदूत मुखर्जी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित फेलो और और यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेंटर फॉर आर्म्ड फोर्सेज ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रबंध मंडल के सदस्य हैं। वे लंदन के इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) के सदस्य हैं। वे भारत की सामरिक नीतियों पर भारतीय और विदेशी प्रकाशनों के लिए नियमित रूप से लिखते हैं। उनकी 7 प्रकाशित पुस्तकों में "भारत और संयुक्त राष्ट्र 1945-2015: एक फोटो यात्रा" हैं, जिसकी पहली प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को भेंट की थी।

राजदूत को जुलाई 2018 में, कूटनीति में उनके योगदान के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया (यूके) द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ (ऑनरीस कासा) की डिग्री से सम्मानित किया गया था। 2019 के बाद से, वे माल्टा और स्विट्जरलैंड की सरकारों द्वारा स्थापित डिप्लो फाउंडेशन के संकाय है।

मंजीव सिंह पुरी

संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित फेलो, ऊर्जा और संसाधन संस्थान, नई दिल्ली

मंजीव सिंह पुरी 1982 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और यूरोपीय संघ, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/उप स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, जिस समय भारत सुरक्षा परिषद में था। वे भारत सरकार के सचिव के पद से 31 दिसंबर 2019 को सेवा-निवृत्त हुए थे।

पुरी ने सामाजिक और आर्थिक पक्ष पर संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों से संबंधित विदेश मंत्रालय में विभाजन का नेतृत्व भी किया है और वे जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, प्रवासन, मानवाधिकारों और संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर कई वैश्विक वार्ताओं में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने जर्मनी में दो बार (बॉन और बर्लिन में), केप टाउन, मस्कट, बैंकॉक और कराके में सेवा की है।

उनके मुख्य और विशेषज्ञता का क्षेत्र बहुपक्षीयता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, यूरोप और यूरोपीय संघ के मुद्दे और नेपाल हैं। उन्होंने नेपाल की सिख-विरासत पर भी काम किया है और इस विषय पर एक प्रकाशन में और सिख प्रवासी और उसके भूले-बिसरे तत्वों के कथानक को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरी की अन्य देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के इतिहास में भी बड़ी रुचि है और नेपाल, यूरोपीय संघ, बेल्जियम और ओमान के मामले में ये

दस्तावेज किए गए हैं।

पुरी ने मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए (ऑनर्स) किया है। वे भारत के प्रतिष्ठित ऊर्जा और पर्यावरण संगठन टेरी के प्रतिष्ठित फेलो हैं।

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रख्यात बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और मंतव्य के कोष के रूप में कार्य करना था। वर्ष 2001 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व मामलों की भारतीय परिषद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। परिषद आज आंतरिक संकाय के साथ-साथ बाह्य विशेषज्ञों के माध्यम से नीतिगत शोध करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन करता है और प्रकाशनों की एक श्रृंखला प्रकाशित करती है। इसमें सुसज्जित स्टॉक किया गया पुस्तकालय है, इसकी एक सक्रिय वेबसाइट है, और यह 'इंडिया त्रैमासिक' जर्नल प्रकाशित करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बेहतर अभिज्ञान को बढ़ावा देने और परस्पर सहयोग के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंतको और शोध संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, चिंतको और विश्वविद्यालयों के साथ भी साझेदारी है।

विश्व मामलों की
भारतीय परिषद

सप्रू हाउस
नई दिल्ली